

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 311

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 2, 2013/पौष 12, 1934

No. 311

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 2, 2013/PAUSA 12, 1934

## पर्यावरण और वन मंत्रालय अधिसूचना

न**ई दिल्ली**, 2 जनवरी, 2013

का.आ. 32(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 6 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) तथा धारा 7 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री रंजन चटर्जी, नं. 25 न्यू मोती बाग, नई दिल्ली-110023, को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अविध के लिए या उनके पेंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17(30)/2012-पीएल/एनजीटी (पार्ट)]

सुरजीत सिंह, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2013

S.O. 32(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 6 and Section 7 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby appoints Shri Ranjan Chatterjee, No. 25, New Moti Bagh, New Delhi-110023, as the Expert Member of the National Green Tribunal with effect from the date of publication of this notification for a period of five years or till he attains the age of sixty-five years, whichever, is earlier.

[F. No. 17(30)/2012-PL/NGT (Pt.)]

SURJIT SINGH, Jt. Secy.